न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (रीवा कैम्प) संभाग

जिला रीवा (म0प्र0)

निगरानी 2187-II-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201

181
9.6.15

रामाधार साहू तनय श्री केदारनाथ उम्र 28 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम हर्दी थाना लौर तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

..........................निगराकार

बनाम

श्रीमती रामकली पत्नी रामनारायण उम्र 60 वर्ष निवासी कनकेसरा तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

..........................गैर निगराकार

श्री. शैलेन्द्र शुक्ला ....एड द्वारा आज दिनांक 09-6-15 के प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5845
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक..................को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुध्द निर्णय एवं आदेश माननीय कलेक्टर रीवा प्र0क0 165/अ-74/निग0/09-10 आदेश दिनांक 28.04.15

पुनरीक्षण अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

संक्षिप्त विवरण

यह कि आ0न0 126/2 रकवा 59 1/2 पुनरीक्षणकर्ता के स्वत्व अधिपत्य की आराजी है, आ0न0 126/6 रकवा 0.34 एकड एवं 126/7 रकवा 0.1/2 एकड गैर पुनरीक्षणकर्तागणो की आराज़ी है, गैरपुनरीक्षणकर्ता ने आ0न0 126/7 रकवा 0.1/2 एकड का नक्शा तर्मीम प्रार्थी के स्वत्व अधिपत्य की आराजी 126/2 रकवां 59 1/2 मे पृथक भू खण्ड 126/7 बटांक करवा लिया जब कि म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 की धारा 70 के अर्न्तगत निर्मित नियम 1 (क) अनुसार प्रतिबन्ध है कि जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड से कम हो भूमि का उपयोग कृषि उदेशार्थ है, उपखण्ड नही बनाया जावेगा, जब उपखण्ड निर्मित नही होगा तब नक्शा तर्मीम अथवा इसके आधार पर सीमांकन का प्रश्न ही नही उठता जिस पटवारी का अधिकारिता विहीन तर्मीम भूखण्ड का निर्मित आदेश दिनांक 13.08.2008 के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 1

प्रकरण कमांक R-2187–दो–.2015 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश रामाधार/रामकली	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–01–2016	यह निगरानी कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 165/अ–74/निग0/09–10 में पारित आदेश दिनांक 28.04.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 28.4.15 का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद नक्शा तरमीम से संबंधित है। जिसमें मुख्य रूप से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि नक्शा तरमीम कार्यवाही राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य कहीं भी प्रकट नहीं हुआ कि नक्शा तरमीम तहसीलदार द्वारा किया गया है। प्रश्नाधीन आदेश की कंण्डिका 4 में भी कलेक्टर द्वारा अंकित किया गया है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर द्वारा भी भूमि कमांक 126/2,126/6,126/7 के किए गय नक्शा तरमीम आदेश दिनांक 21.10.09 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथमदृष्ट्या यही प्रकट हो रहा है कि नक्शा तरमीम राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया है, जिसे संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नक्शा तरमीम की अधिकारिता नहीं है। नक्शा तरमीम का अधिकार संहिता की धारा 70 के अंतर्गत तहसीलदार को हैं। इस कानूनी पहलू पर कलेक्टर द्वारा ध्यान न दिया जाकर मात्र धारा 5 के बिन्दु पर ही निगरानी में प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा कलेक्टर रीवा को निगरानी इस निर्देश के साथ	

प्रकरण कमांक R -2187–दो–.2015 **जिला रीवा**

रामाधार/रामकली

प्रत्यावर्तित की जाती है कि वे पहले इस बिन्दु पर विनिश्चय करें कि विवादित भूमि का नक्शा तरमीम किस अधिकारी द्वारा किया गया है जिसके द्वारा नक्शा तरमीम किया गया है उसे अधिकार था भी या नहीं/यदि उसे अधिकार नहीं था तब अधिकारिता बाह्य कार्यवाही कर उसके द्वारा अनावश्यक न्यायवाद बढाने का कृत्य कर सक्षम अधिकारी के अधिकारों का दुरूपयोग किया गया है। इस संबंध में स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें तथा नक्शा तरमीम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को नामांकित करें, और यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि नक्शा तरमीम अनाधिकृत अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया है तो उसके विरूद्ध विधि में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय कार्यवाही सहित अन्य जो वैधानिक कार्यवाही सेवा नियमों के तहत की जा सकती हो वह करें एवं राजस्व मण्डल को अवगत कराया जावे। उक्त कार्यवाही के साथ ही उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में मूल विवाद का गुण दोष के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही कर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करते हुए निराकरण किया जावे। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

13.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य